राजस्थान सरकार
राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर
राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर ☎ +91–141–2702477, 2702528
E-mail :- raj.madarsaboard@gmail.com

क्रमांकः- 3101 - 3113

दिनांकः 26/8/2020

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव एवं अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के पत्र क्रमांक प.3(2)अल्प.वक्फ/2017/आर.के./00523 जयपुर दिनांक 19.08.2020 के द्वारा मदरसों की क्रमोन्नत करने हेतु जारी प्रशासनिक सहमति दिये जाने के अनुसरण में राजस्थान मदरसा बोर्ड में प्राथमिक श्रेणी में पंजीकृत मदरसों को उच्च प्राथमिक स्तर की श्रेणी में क्रमोन्नत करने हेतु संबंधित मदरसों के सदर/सचिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की पेनल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के आदेश क्रमांक F-REGISTRATION/RMB/2013/4069 दिनांक 10.10.2014 एवं संशोधित नीति दिनांक 06/04/2018 द्वारा निम्न मदरसों को क्रमोन्नत करने की अनुमोदित की गई नीति के तहत समीक्षा कर योग्य पाए गए निम्नलिखित मदरसों को क्रमोन्नत करते हुए उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता प्रदान की जाती है।

क्र स.	पंजीयन संख्या	मदरसा का नाम व पता	मान्यता का स्तर/वर्ष
1	3736	मदरसा कादरिया मोहम्मदी फतेह बबरे खां का वास पिथोडाई, जिला जैसलमेर	उ.प्रा. स्तर/2020–2021
2	3854	मदरसा द जी.एन.सी. (द गलेक्सी ऑफ नोबल चिल्ड्रन), कच्ची बस्ती, निम्बाहेड़ा, चित्तौडगढ़	उ.प्रा. स्तर/2020–2021
3	3426	मदरसा गरीब नवाज, तेलियों का वास भाखरसर, तह. पचपदरा, बाड़मेर	उ.प्रा. स्तर/2020–2021

मदरसा प्रबन्धन कमेटी को निम्न निर्देशों की पालना करनी होगी:–

1. पंजीयन एवं क्रमोन्नत करने की नीति दिनांक 10.10.2014 एवं संशोधित नीति दिनांक 06.04.2018 में वर्णित मानदण्डों को बनाये रखना होगा।
2. मदरसे के नाम से बैंक में खाता खुलवाना होगा जिसमें प्रत्येक समय बैंक में रूपये 10000/– की सावधि ज़मा रखनी होगी।
3. राजस्थान मदरसा बोर्ड एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की पालना करनी होगी। साथ ही मदरसे में अध्ययनरत बच्चों का नामाकंन पंजिका, उपस्थिति पंजिका एवं कार्यरत शिक्षा सहयोगियों की उपस्थिति पंजिका संधारित करनी होगी।
4. राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिकारियों एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निरीक्षण के समय उपस्थित रहकर मांगी गई सूचना एवं रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना होगा।
5. राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई गई भौतिक सामग्री का स्टॉक रजिस्टर संधारित करना होगा एवं सहायतार्थ अनुदान राशि का रिकॉर्ड रखना होगा।

यह आदेश राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त जारी किये जा रहे हैं।

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड

क्रमांकः– एफ. ( )रामबो/जय/

दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग।
5. निदेशक, एम.डी.एम. जयपुर।
6. संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी.........
7. सदर/सचिव मदरसा.........
8. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा आदेश वेबसाईट पर अपलोड करें एवं संबंधित को ई–मेल करना सुनिश्चित करें।
9. निजी पत्रावली।

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड

OFFICE LETTER 38